प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

यातायात नियमों से जनसामान्य को किया गया जागरूक

आज दिनांक 03.11.2020 को पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को प्रचलित यातायात माह नवम्बर, 2020 के दृष्टिगत स्कूली विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता रैली निकालने तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु निर्दशित किया गया था।

उक्त निर्देश के क्रम में जनपद के थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में वाहन चालको को जागरुकता कार्यक्रम के दौरान अपने थाने में स्थित ढाबों व होटलो पर वाहन चालको विशेषकर ट्रक चालकों को यातायात नियमो का पालन करने हेतु जागरुक किया गया तथा वाहनों पर रेट्रो रिफलेक्टर/रिफलेक्टिव शीशे लगाने हेतु प्रेरित किया गया। वाहन चालको के साथ हाइवे अथवा सड़क पर स्थित विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से यातायात नियमो के पालन के संबंध मे परिचर्चा एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस परिचर्चा में ए.आर.टी.ओ. भी सम्मिलित रहे। क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने सर्किल में यातायात नियमो का पालन करने के संबंध में जागरुकता रैली निकाली गयी। रैली में नव युवक तथा स्कूली बच्चे शामिल रहे। इसके अतिरिक्त थाना प्रभारियों द्वारा विद्यालयों से समन्वय स्थापित कर यातायात स्लोगन के साथ बच्चो को रैली में शामिल किया गया। समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा सड़क दुर्घटना में घातक कारको पर अभियान चलाया गया जिसमें मदिरा पीकर वाहन चलाने वाले चार पहिया वाहन व आगे की सीट पर बैठी सवारियों द्वारा सीट बेल्ट का उपयोग न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालो के विरुद्ध, गलत दिशा में वाहन चलाने वालो के विरुद्ध, तीन सवारी के साथ दो पहिया वाहन चलाने के विरुद्ध भी चालान की कार्यवाही की गयी।